



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122020-223522
CG-DL-E-05122020-223522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3857]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्रहायण 13, 1942

No. 3857]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4395(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH44 के 15.5 किमी से 29.8 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

दिल्ली राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH44 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 के	दिल्ली	नार्थ	नरेला	1 बकौली

		कि.मी. 15.5 से 29.8 तक			अलीपुर	1 जिन्दपुर
--	--	---------------------------	--	--	--------	------------

[फा. सं. NHAI/PIU-Sonipat/DLI-PNP/Land/20-21/3a]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2020

S.O. 4395(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 15.5 to Km. 29.8 of the NH44 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of DELHI.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH44 in the State of DELHI.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate (NORTH)	15.5KM To 29.8KM	DELHI	NORTH	Narela	1 Bakoli
					Alipur	1 ZindPur

[F. No. NHAI/PIU-Sonipat/DLI-PNP/Land/20-21/3a]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.